तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व सरकार (पैरोकार) उपस्थित। वादग्रस्त आराजी में से जिस सह खातेदार की जगह बेचान से अन्य सह-खातेदार दर्ज हुआ है, उस नामा सं० 1219 के अवलोकन से जाहिर है कि स्वयं वादी ने वाद पेश करने के करीब 1 वर्ष से अधिक समय बाद अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इल्हासिंह पुत्र जसवंत सिंह को बेचान करने के बावजूद भी इस तथ्य को छुपाते हुए (hiding the facts), ना तो नये सह-खातेदार को पक्षकार बनाया और ना ही कोर्ट को इसकी सूचना दी। अत: स्वयं वादी ने clean hands से कोर्ट में trial नहीं की है। वादी unclean hands से कोर्ट में आया है। 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M/s Tomorrow Land limited v/s HUDCO 2025 मामले में प्रतिपादित किया है कि "courts cannot aid those approaching with "unclean hands". The court observed that the intent of the appellant throughout appeared to be that of prolonging the ~~limitation~~ litigation to cloak its impecuniousness." 3. Amar Singh v/s union of india (2011) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "A party must come [illegible] with clean hands to be eligible for [illegible] relief." इसी प्रकार ~~D~~ Simran [illegible] pvt limited v/s state bank of india ~~[illegible]~~ (1991) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तथा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

R. Ramesh v/s Paekiam (2023) मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि "Suppression of material facts or dishonest conduct disqualifies a party from receiving relief"

इसी प्रकार Kolluru Sudhakar Rao v/s Polineni Nagabhushanam (2022) मामले में माननीय आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि "injuctions are discretionary and will not be granted to a party that has suppressed facts or acted dishonestly."

4. The principle of unclean hands is a fundamental doctrine in equity that prevents a party from seeking relief if they have acted unethically or in bad faith in relation to the subject matter of their claims. in the indian judiciary, this principle is consistently upheld, particularly in cases seeking equitable relief such as injuction or specific performance.

5. उपरोक्त विवेचन के आधार वादी का वाद खारिज किया [illegible] है। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] होकर वाद तामील नकलात [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner